राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

कमाक:पं025(1)चिस्वा/2/2013/175 जयपुर,दिनांकः 12.09.2013

निदेशक(जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

विषयः– नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं संभागीय मुख्यालयों के सुदृढीकरण हेतु राजकीय वाहन (जीप) क्रय करने हेतु वाहन चालक पद सृजन व वाहनों के लिये पी0ओ0एल0 बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव पर बजट निर्णायक समिति द्वारा वर्ष 2013–14 में बजट मद 2210–06–104–(01)–[01]–06 वाहनो का क्रय (आयोजना) में कुल 8 जीप वाहन (मुख्य औषधि नियंत्रक संगठन–01 वाहन एवं संभागीय मुख्यालय पर 07 वाहन) क्रय करने हेतु राशि रू0 52.00 लाख का प्रावधान, 2210–06–104–(01)–[01]–07 में पीओएल राशि रू0 2.39 लाख एवं 08 जीप चालको का वेतन व्यय हेतु 2210–06–104–(01)–[01]–01 में राशि रू0 3.00 लाख का प्रावधान किया गया हैं। इस क्रम में 08 वाहन (जीप) का क्रय एवं इन वाहनों हेतु पीओएल हेतु राशि का व्यय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के प्रावधानों एवं नियत प्रकिया की पालन करते हुए किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है। इन 08 जीपों हेतु वाहन चालक (ड्राईवर) के पदों पर होने वाले व्यय हेतु राशि रू0 3.00 लाख की स्वीकृति भी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वाहन चालको के पद पर भर्ती विभागीय सेवा नियमों के अनुसार की जावेगी।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग से प्राप्त उनकी आई.डी.संख्या 151300857 दिनांक 04.07.2013 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीया,

(अल्पा चौधरी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1–निजी सचिव,मा0 मंत्री महोदय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2–निजी सचिव, चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3–निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4–प्रधान महालेखाकार(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा),राज0जयपुर ।
5–संयुक्त शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–3) विभाग।
6–संयुक्त शासन सचिव,वित्त(व्यय–1/बजट)विभाग।
7–अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रितप्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
8–वित्तीय सलाहकार,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
9–प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10–एकल पत्रावली डी–984 दिनांक 21.08.13
11–रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी